अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	1	
32 16.12.2022	**न्यायालय उपायुक्त, रॉची** विविध अपील वाद सं0 24 आर० 15/2020–21 1. मुर्सिलिम अंसारी उर्फ मुस्लिम अंसारी 2. मंजूर अहमद, 3. मुस्ताक अहमद 4. मोइन अहमद 5. साजिद अंसारी 6. मो मोहसिन अंसारी 7. इकबाल हुसैन पिता स्व० अफजल हुसैन 8. जहांगीर आलम पिता स्व० भोख मिया जान 9. जमील अख्तर 10.शकील अख्तर 11. वकील अख्तर उपरोक्त 9 से 11 पिता स्व० निजामुल हक 12. इनामुल हक स्व० अब्दुल मजीद 13.अब्दुल हक पिता स्व० शेख असरुद्दीन 14. इम्तियाज अंसारी 15. इश्तिखार अंसारी उपरोक्त 14 एवं 15 पिता स्व० हाली हजरत अंसारी 16. सराफत अंसारी 17. फारूख अंसारी 18. शमशाद अंसारी 19. जुल्फान अंसारी उपरोक्त 16 से 19 पिता स्व० शमशेर अंसारी 20 रोशन अंसारी 21. मुर्तजा अंसारी 22. मुस्तफा अंसारी उपरोक्त 20 से 22 पिता स्व० हाजी यासीन अंसारी	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

23. हाजी अली हुसैन अंसारी पिता स्व० दिलाउद्दीन अंसारी
24. यदुनन्दन साहु पुत्र किसुन साहु
25. सुनील साहु
26. अनिल साहु
दोनो 25 एवं 25 पिता शिवदेनी साहु
27. नरेंद्र साहु पिता किसुन साहु
28. पिंटू साहु पिता दुखेन्द्र साहु
29. महावीर साहु पिता चमन तेली
30. कैलाश साहु
31. सुंदर साहु
32. तरुण कुमार साहु
सभी 30 से 32 पिता सिपूचंद साहु
33. प्रदीद साहु पिता स्वर्गीय परिवल साहु
34. धनराज साहु
35. भगत साहु
दोनो 34 एवं 35 पिता स्व० चमन तेली
36. अब्दुल सत्तार अंसारी पिता स्व० अमानत अंसारी
37. आरिफ इमाम
38. आसिफ अंसारी
39. भुटो अंसारी
40 गुलाम अली
41. अंबर अली
सभी 37 से 41 पिता स्व० फारूक अंसारी
42. एकराम अंसारी पिता स्व० बकरीद अंसारी
43. जब्बार हुसैन
44. इलताफ हुसैन
45. इनुस अंसारी
46. कुदुस अंसारी
सभी 43 से 46 पिता शेख सहादत
47. पावेज आलम

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	3	
	48. फिरोज आलम 49. एहशान आलम 50. तबरेज आलम 51. तसौर आलम 52. इरफान आलम 53. वसीम राजा सभी 47 से 53 पिता स्व० मोहम्मद इस्लाम 54. हाजी रुस्तम अली 55. हाजी अब्दुल रज्जाक 56. हाजी रियाज अंसारी 57. राउफ अंसारी 58. अयूब अंसारी सभी 54 से 58 पिता स्व० शेख मोजिम 59.एहाक अंसारी पिता स्व० सिराजुद्दीन 60. मो. आफताफ अंसारी 61. महताब अंसारी दोनो 60 एवं 61 पिता स्व० भोख हब्बीबुल्लाह 62. मो० इम्तियाज अंसारी 63. मो० सरताज अंसारी 64. मो० मुदाशिर अंसारी सभी 62 से 64 पिता स्व० इस्राफिल अंसारी 65. नूर मोहम्मद 66. मुमताज अंसारी 67. सलीम अंसारी 68. रहमान अंसारी 69. मो. रिजवान अंसारी सभी 65 से 69 पिता स्व० लतीफ अंसारी 70.शमशाद अंसारी 71.शमशेर अंसारी 72. मो० रमजान अंसारी	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

सभी 70 से 72 पिता स्व० खालिक अंसारी
73. मो० नेसार अंसारी
74. मो० कौशर अंसारी
75. मो० कैसर अंसारी
76. मो० अर्श आलम
सभी 73 से 76 पिता स्व० यूसुफ अंसारी
सभी निवासी ग्राम पुन्दाग थाना जगरनाथपुर, जिला रांची

..... अपीलकर्त्ता

बनाम्

कामरुन निशा पति शेख बिल्टू अली
निवासी ग्राम पुन्दाग थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ..... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 20/2017–18 मे दिनांक 10.01.2020 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ने शेख मियांजान वैगरह के नाम से कायम जमाबंदी यथा – (1) पंजी ।। के भाग सं० ।।।/63, मे कायम मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं०– 385, प्लॉट सं०– 3723, 3745, 3774 रकबा 2.07 एकड़ भूमि की जमाबंदी, (2) पंजी ।। के भाग सं० ।।।/180 मे कायम मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं०– 385, प्लॉट सं०– 4091 रकबा 2.20 एकड़ भूमि की जमाबंदी एवं (3) पंजी ।। के भाग सं० ।।।/81 मे कायम मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं०– 385, प्लॉट सं० – ज्ञात नही, रकबा 4.20 एकड़ कुल रकबा 8.47 एकड़ भूमि की जमाबंदी को रद्द करने संबंधी उनके द्वारा पूर्व मे दिनांक 26.04.2018 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए उपरोक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की गई है।

अपीलकर्त्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	5	
	मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं0–385, कुल रकबा 8.47 भूमि जिरात मालिक खेवट सं० 3 के अन्तर्गत दर्ज है । उपरोक्त खेवट सं० 3, खेवट सं० 2 के अन्तर्गत शेख बिल्टु अली के नाम से दर्ज है तथा उक्त खेवट सं० 3 बिल्टु अली वल्द मुन्सी आदित्य प्रसाद को राहीर हैयत (Lifetime grant) के तौर पर खेवट सं० 2 के खेवटदार बडालाल कंदर्प नाथ शाहदेव ने निबंधित पट्टा सं० 1401 दिनांक 16.03.1929 द्वारा प्रदान किया गया था, जिसकी पुष्टिकरण हेतु उक्त बिल्टु अली द्वारा निबंधित कबुलियत पट्टा सं० 1406 दिनांक 18.03.1929 का निष्पादन किया गया । उपरोक्त निबंधित पट्टा दिनांक 16.03.1929 मे यह साफ तौर पर उल्लिखित है कि बिल्टु अली बड़ालाल कंदर्प नाथ शाहदेव के सेवक थे एवं काफी वृद्ध थे। उनको उनके सेवा के बदले उपरोक्त अस्थायी जागिर प्रदान की गई थी जो वंशानुगत नही था तथा उन्हे उक्त जागिर आजीवन प्रदान की गई थी। शेख बिल्टु अली का निधन वर्ष 1941 ई० मे हुआ तत्पश्चात् उक्त जागिर मे वर्णित सम्पत्ति बड़ालाल कंदर्प नाथ शाहदेव को वापस अपने दखल मे ले लिया। उक्त बड़ालाल कंदर्प नाथ शाहदेव ने तत्पश्चात् निबंधीत पट्टा दिनांक 21.02.1948 द्वारा मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं0–385, प्लॉट सं० 3723, 3745, 3744 रकबा 2.07 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती शेख मियांजान, शेख दिलाउद्दीन पिता शेख हसन एवं प्रसाद तेली पिता भिखु तेली एवं चमन तेली पिता सोनार तेली के पक्ष मे किया तथा इसी प्रकार मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं0–385, भूमि मधे प्लॉट सं० 3737, 3744, 3776, 4088, 4090 रकबा 4.20 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती शेख बसरूद्दीन, शेख इमाम अली, शेख मोजीम एवं भोख सेराजुद्दीन पिता शेख वहीद के पक्ष मे किया एवं शेष बचे भूमि अर्थात मौजा पुन्दाग, थाना जगरनाथपुर, थाना सं० 228, जिला रॉची के खाता सं0–385, प्लॉट सं० 4091 रकबा 2.20 एकड भूमि की बंदोबस्ती शेख मियांजान एवं शेख असरूद्दीन पिता शेख हसन के पक्ष मे कर दिया। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उपरोक्त भूमि की जमाबंदी शेख मियांजान वैगरह के नाम से कायम हुआ तथा उनके नाम से वर्ष	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1955–56 से लगातार लगान रसीद निर्गत है।

विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने संबंधी आदेश मृत व्यक्ति के खिलाफ पारित किया है। अपीलकर्त्ताओं को जमाबंदी रैयत के वारीस है एवं विद्वान निम्न न्यायालय से रद्द करने के पूर्व ना तो कोई नोटिस निर्गत की गई ना ही उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही प्रदान किया गया।

उत्तरवादी का उक्त बिल्टु अली से कोई संबंध नही है। उत्तरवादी कमरून निशा द्वारा विद्वान निम्न न्यायायल के समक्ष प्रदान की गई वोटर कार्ड सं० GHF4345914 से विदित होगा कि उत्तरवादी के पति का नाम दिल अहमद है ना कि बिल्टु अली।

विद्वान अँचलाधिकारी नगड़ी अँचल ने कमरून निशा, निवासी ग्राम बाडु, थाना कॉके, जिला रॉची द्वारा दिनांक 25.05.2017 को दायर आवेदक के आलोक मे बिना उचित जॉच पडताल किये प्रश्नभूमि की जमाबंदी पंजी ।। के भाग सं० 32/246 मे अनाधिकृत रूप से कायम किया गया।

हस्तक्षेपी इकबाल अहमद पिता स्व० मो० इबराहिम अली पितामह शेख बिल्टु अली की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार –

कमरून निशा का उनके पितामह शेख बिल्टु अली से कोई संबंध नही है। शेख बिल्टु अली दिनांक 10.10.1941 को अपने पीछे बीबी रासूलन एवं तीन पुत्र मो० इबराहीम, मो० अली इमाम, मो० हबीब खान एवं दो पुत्री जुबेदा खातून एवं हमीदा खातून छोड स्वर्गवास हो गई। कमरूम निशा द्वारा दाखिल आधार कार्ड मे वर्णित उम्र से विदित होगा कि उनका जन्म तिथि 08.07.1952 है, जबकि शेख बिल्टु अली की मृत्यु वर्ष 1941 ई० मे ही हो गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत वोटर कार्ड में उनके पति का नाम दिल अहमद है तथा वे ग्राम बाडु थाना कॉके की निवासी है। यह स्वीकृत तथ्य है कि शेख बिल्टु अली को प्रश्नगत सम्पत्ति आजीवन प्रदान की गई थी, लेकिन ज्यों ही प्रश्नगत भूमि का खतियान उनके नाम से बना, उसमे वर्णित सम्पत्ति उनकी अनन्य

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

सम्पत्ति हो गई तथा वे उक्त भूमि के जमींदार हो गये एवं वर्ष 1929 ई० को निष्पादित पट्टा मे वर्णित शर्त्त स्वतः प्रभावहीन हो गया।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर, रॉची द्वारा दिनांक 10.01.2020 को पारित आदेश का अवलोकन किया। उन्होने उत्तरवादी कमरून निशा द्वारा दाखिल कागजातों आधार पर कहा है कि वे शेख बिल्टु अली की पत्नी है, जबकि हस्तक्षेपी ने यह दावा किया है कि उत्तरवादी का बिल्टु अली से कोई संबंध नही है। हस्तक्षेपी द्वारा प्रस्तुत कागजात यथा, बिल्टु अली की मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि से यह प्रतीत होता है कि उक्त बिल्टु अली की मृत्यु 10.10.1941 को हुआ था, जबकि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड आधार कार्ड के अनुसार उनका जन्म वर्ष 1952 है। उपरोक्त तथ्यो से प्रतीत होता है कि उत्तरवादी का शेख बिल्टु अली से कोई संबंध नही है।

विद्वान निम्न न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अवलोकन से विदित होता है कि उन्होने ने मात्र खतियान की प्रविष्टी के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है, परन्तु उन्होने अपने उक्त आदेश मे खेवट, वर्ष 1929 ई० मे निष्पादित निबंधित पट्टा, वर्ष 1948 मे निष्पादित निबंधित बंदोबस्ती पटटा इत्यादि मे वर्णित प्रविष्टी पर कोई विवेचना नही किया है। उन्होने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि के हक एवं स्वत्वाधिकार की घोषणा किया है, जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। उनके द्वारा लम्बी अवधी से कायम जमाबंदी को भी रद्द किया गया है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है तथा निरस्त करने योग्य है।

इस अपील वाद मे हस्तक्षेपी द्वारा प्रस्तुत आवेदन मे यह स्वीकार किया गया है कि शेख बिल्टु अली को प्रश्नगत सम्पत्ति आजीवन प्रदान की गई थी, लेकिन ज्यों ही प्रश्नगत भूमि का खतियान उनके नाम से बना, उसमे वर्णित सम्पत्ति उनकी अनन्य सम्पत्ति हो गई तथा वे उक्त भूमि के जमींदार हो गये। उनका उपरोक्त दावा स्वीकार्य नही है क्योंकि

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उक्त बिल्टु अली के नाम से दर्ज खेवट सं० 3 के खाना सं० 4 मे उसका हक उक्त सम्पत्ति पर काबिल जपती दर्शया गया है तथा खाना सं० 6 मे वर्णित शर्त्तों के अनुसार उक्त खवेट मे वर्णित सम्पत्ति उन्हे आजीवन प्रदान की गई थी। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हस्तक्षेपी का उपरोक्त दावा सही प्रतीत नही होता है, एवं इसलिए हस्तक्षेपी के आवेदन को निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील वाद स्वीकृत किया जाता है तथा विविध वाद (जमाबंदी रद्द) सं० 20/2017–18 मे दिनांक 10.01.2020 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि पर अपना हक, स्वत्वाधिकार, दखल इत्यादि सक्षम न्यायालय से घोषित कराने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.03.31 15:20:34 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:24d0:3f92:988a:358d